



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र
Centre for Cultural Resources and Training
(Under aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

सीसीआरटी/क्षेके/उदय/1217/01/2019-2020/हि- 805-829
दिनांक : 15/11/19

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको विदित है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सीसीआरटी नई दिल्ली, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो की शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों के समावेश एवं संरक्षण के निमित्त देश के सेवारत शिक्षकों/प्राचार्यों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन करता है।

सीसीआरटी, क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर द्वारा वर्ष भर भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों को शिक्षा से जोड़ कर शिक्षण को विकसित करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों के सेवारत शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए विभिन्न विषयों पर लघु (5-10 दिन) एवं दीर्घ कालीन (15-30 दिन) अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें लगभग 50 से 100 तक की संख्या में शिक्षक-शिक्षिकायें भाग लेते हैं।

इसी क्रम में आप की फर्म के बारे में प्राप्त जानकारियों के आधार पर आपकी फर्म से **केटरिंग व्यवस्था (भोजन आदि व्यवस्था)** के लिए संलग्न निर्देश अनुसार दरें आमंत्रित हैं।

कृपया संलग्न शर्तों को ध्यानपूर्वक समझ कर यथाशीघ्र अपने फर्म के लेटर हेड पर दरों प्रस्तुत करें। आप द्वारा प्रदत्त दर उचित एवं न्यूनतम पायी जाने पर केन्द्र द्वारा पात्रता/अहर्ताओं की पूर्ति उपरान्त कार्यादेश प्रदान कराने हेतु विचार कर सकेगा।

दिनांक 16/12/2019 को दोपहर 01:00 बजे तक परामर्शक, सीसीआरटी, क्षेत्रीय केन्द्र, 3-बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर, उदयपुर पर फर्म के लेटर हेड पर मुहर बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जिन्हें उसी दिन दोपहर 03:30 बजे खोला जायेगा।

संलग्न: व्यवस्था संबंधी शर्तों व निर्देश प्रारूप।

संलग्न सूचीअनुसार

भवदीय

क 35/11/19

(डॉ. के. सत्यनारायण)

परामर्शक

का.प्रति
4



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
क्षेत्रीय केन्द्र, 3 बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर, उदयपुर (राज0)
फोन नं. 2430764, 2430771

Email: rcud.ccr@nic.in

सी.सी.आर.टी. क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के प्रशिक्षणार्थियों हेतु भोजन, नाश्ता, चाय व्यवस्था की निविदा के मानदण्ड/शर्तों का विवरण

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी.सी.आर.टी.) नयी दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था है। सी.सी.आर.टी. देश के सेवारत शिक्षकों के लिये अल्प अवधि के प्रशिक्षण आयोजित करता है। अधिकांश प्रशिक्षणों की अवधि 05 से 15 दिनों एवं कुछ प्रशिक्षण 18 से 20 दिन के होते हैं।

सी.सी.आर.टी. सामान्यतः प्रतिमाह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये सुस्थापित कैंटरर्स फर्मों से भोजन व्यवस्था हेतु निविदायें आमंत्रित करता है,

क्रम सं.	विवरण	समय	मात्रा
1.	बेड टी	प्रातः 05:30	1 कप (150 मिली)
2.	सुबह का नाश्ता चाय/कॉफी के साथ (कोई भी एक) a) पोहा + नमकीन b) इडली सांभर + नारियल की चटनी c) उपमा + नमकीन + नारियल की चटनी d) पूड़ी + आलू सब्जी e) प्लेन पराठा + सब्जी + दही f) आलू पराठा + दही और अचार g) खमण + कड़ी + ब्रेड बटर सहित दो पीस h) मिक्स पराठा और दाल पराठा + दही	प्रातः 08:30	फुल (मेनू के अनुसार)
3.	चाय + बिस्किट	प्रातः 11:00	1 कप (150 मिली) बिस्किट
4.	दोपहर का भोजन (निम्नानुसार)	दोपहर 01:00	फुल (मेनू के अनुसार)
5.	चाय + बिस्किट	सांय 04:00	1 कप (150 मिली) बिस्किट
6.	रात्रि का भोजन (निम्नानुसार)	रात्रि 08:00	फुल (मेनू के अनुसार)

● भोजन (दोपहर/रात्रि) सामग्री विवरण :

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | चपाती/फुलका/दुप्पड़/पूड़ी | — असीमित |
| 2. | चावल | — असीमित |
| 3. | हरी सब्जी (मौसमी सब्जियाँ) | — असीमित |
| 4. | पनीर की सब्जी (सप्ताह में दो बार) | — असीमित |
| 5. | दाल — राजमा/छोला/मसूर/चना/
मुंग/अरहर/उड़द | — असीमित |
| 6. | पापड़ | — आवश्यकतानुसार |
| 7. | अचार/चटनी | — आवश्यकतानुसार |
| 8. | दही /छाछ/रायता | — 1 कटोरी (150 मिली लीटर) |
| 9. | सलाद (प्याज/तरकारी/निम्बू आदि) | — आवश्यकतानुसार (मौसमानुसार) |
| 10. | मिठाई (दोपहर या रात्रि भोजन के साथ) | — एक बार |
| 11. | केला (दोपहर या रात्रि भोजन के साथ) | — एक बार |

दाल व सब्जियाँ प्रत्येक दिन अलग अलग होंगी ।

शर्तें एवं मानदण्ड

1. नाश्ता, दोपहर भोजन एवं रात्रि भोजन सम्भागियों की आवश्यकतानुसार पूर्ण मात्रा में होगा।
2. कैंटरर खाना बनाने के लिए सीसीआरटी क्षेत्रीय केन्द्र के किचन का प्रयोग करेंगे।
3. भोजन ताजा, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होगा।
4. सर्विस प्लेट, ग्लास, कटोरी, चम्मच, ईंधन (गैस) इत्यादि कैंटरर की व्यवस्था होगी।
5. कैंटरिंग स्टाफ स्वच्छ वस्त्रों में, सम्भागियों एवं सी.सी.आर.टी. स्टाफ के साथ व्यवहार कुशल होंगे।
6. शुद्ध खाद्य तेल (आई एस आई / एगमार्क) कैंटरर द्वारा उपयोग में लाया जायेगा।
7. दुध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए (सरस/उदयपुर/अमूल डेयरी)
8. उपरोक्त वांछित व्यवस्था (चाय, नाश्ता + चाय, दो समय का भोजन तथा दो चाय की) की आरक्षित दर (Base Price) रुपये 185/- कुल/समग्र दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पूर्ण निश्चित की गयी है।
9. सी.सी.आर.टी. द्वारा प्रति व्यक्ति निश्चित की गई कुल/समग्र निर्धारित दर (**Base Price**) से कम की दरें अमान्य होगी।
10. फर्म प्रोप्राइटर को स्वयं अपनी देखरेख में सम्भागी/अतिथियों के साथ सद्व्यवहार से भोजन कराना अपेक्षित होगा।
11. चावल, दाल, गेहूँ इत्यादि अच्छी क्वालिटी /किस्म का होना अपेक्षित है।

12. प्रत्येक प्रशिक्षण में अनुमानित 60–86 सम्भागी होंगे तथापि भुगतान वास्तविक संख्या के आधार पर होगा, जो कि पंजीकरण उपरान्त ही निश्चित हो सकेगा।
13. भोजन स्थल व रसोई घर को स्वच्छ व व्यवस्थित रखना होगा।
14. भोजन का बिल प्रशिक्षण के अन्तिम दिन वास्तविक सम्भागी संख्या अनुसार भुगतान हेतु पारित किया जा सकेगा। बिल भुगतान रेखांकित चैक/नेफ्ट(NEFT) द्वारा किया जा सकेगा।
15. केटरर सीसीआरटी द्वारा दिए गये साप्ताहिक मेनू और निर्देशित मात्रा का अनुसरण करेगा। मेनू में परिवर्तन सेंटर के प्रतिनिधि की स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।
16. सीसीआरटी के अधिकारी खाना बनने से पूर्व कच्ची सामग्री का निरीक्षण करेंगे।
17. खाना परोसने से पूर्व पर्याप्त रूप से गर्म होगा।
18. केटरिंग फार्म को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे इन शर्तों और मापदंडों से सहमत हैं जो कि टेंडर में लिखी गयी है।
19. पर्याप्त भोजन में कमी/खाद्य पदार्थ की खराब मात्रा पाये जाने के मामले में सीसीआरटी, क्षेत्रीय केन्द्र, बिल में उपयुक्त राशि काट सकता है।
20. केटरर/आपूर्तिकर्ता द्वारा भोजन बनाने में उपयोग की गयी बिजली को सब-मीटर की रीडिंग के अनुसार बिजली उपभोग का शुल्क भुगतान करना होगा।
21. एसकेलेशन इन द कोस्ट ऑफ वेजीटेबल ओर एनी ऑफ द इनग्रीडियेंस, फॉर व्हाटएवर द रिसन मे बी, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेरेशन ऑफ फुडस्टफ केननॉट बी एक्सेप्टेड एस ए ग्राउण्ड फॉर रिविजन ऑफ रेट्स। इन अदर वर्ड्स द रेट्स प्रिसक्राइब्ड एण्ड एक्सेप्टेड शेल रिमेन इन फोर्स फॉर द इनटायर कॉन्ट्रैक्ट पिरियड।
22. निविदाकार का टेंडर स्वीकृत होने पर सीसीआरटी के साथ सहमती पत्र पर स्वीकृति देनी होगी। जिसके अनुसार वह स्वीकृत दर पर बिना रूकावट के बेहतरीन सेवाये प्रदान कर सके।
23. चाय, नाश्ता-चाय, दोपहर भोजन एवं रात्रि भोजन की अलग-अलग विभाजित दर अंकित करनी होगी। व्रत-उपवास की स्थिति में समान दर का फलाहार उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा जो कि केटरिंग फर्म को पूर्व में सूचित किया जाएगा।
24. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार सी.सी.आर.टी. द्वारा 100 से 200 स्कूली विद्यार्थियों को 1 या 2 दिन के लिए आमंत्रित किया जाता है जिनके लिये प्रावधान अनुसार दोपहर भोजन या नाश्ता की दर सी.सी.आर.टी. द्वारा अलग से दी जायेगी।
25. सुस्थापित एवं अनुभवी केटरिंग फर्म होनी चाहिये जो केटरिंग/भोजन व्यवस्था के कारोबार के लिये विधिवत नियमित/पंजीकृत हो तथा उन्हें इस व्यवसाय में न्यूनतम तीन वर्ष का सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में उत्तम क्वालिटी की सेवा संतोषप्रद रूप से देने का अनुभव हो। इसके साथ सेवा प्रदान करने का प्रमाण पत्र, टर्न ओवर के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

26. किसी भी निविदा को बिना कारण दर्शाये अस्वीकृत करने का निदेशक, सी.सी.आर.टी. को पूर्ण अधिकार होगा। निदेशक का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
27. स्वीकृत अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवायें संतोषप्रद नहीं पायी जाने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार निदेशक, सी.सी.आर.टी. के पास सुरक्षित होगा।
28. राज्य एवं केन्द्र सरकार से संबंधित कर राशि एवं अन्य कटौती सी.सी.आर.टी. द्वारा नियमानुसार बिल भुगतान राशि में से की जाएगी। इस हेतु फर्म का "स्थायी खाता संख्या" एवं उचित व्यावसायिक अनुमति सम्बन्धित प्रमाण-पत्र एवं फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
29. सेवा अनुबंध की अवधि, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से 2 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
30. निविदादाता को **निविदा के साथ** केन्द्र में धरोहर राशि रु. 10,000/- (रूपये दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, सी.सी.आर.टी. नई दिल्ली के पक्ष में **संलग्न करना अनिवार्य होगा**, ऐसा न पाए जाने पर निविदा मान्य नहीं मानी जाएगी एवं ऐसी निविदाओं पर विचार भी नहीं किया जाएगा। अनुबंध निश्चित होने पर असफल रही फर्म को राशि रुपये 10,000/- (रूपये दस हजार) ड्राफ्ट सी.सी.आर.टी. द्वारा पुनः लौटा दी जायेगी।
31. स्वीकृत अनुबंधित फर्म से बैंक ड्राफ्ट के रूप में रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट "निदेशक, सी.सी.आर.टी. नई दिल्ली" के नाम से बतौर सुरक्षा राशि अनुबंध अवधि समाप्ति तक बिना ब्याज केन्द्र में जमा होगी। जो कि अनुबन्ध समाप्ति पर पुनः लौटायी जाएगी।
32. राज्य/केन्द्र सरकार के कंटेरिंग फर्मों के अधिनियमों/नियम की पालना स्वीकृत फर्म के द्वारा की जानी होगी। स्वीकृत फर्म द्वारा समस्त संवैधानिक / वैधानिक नियमों की अनुपालना न करने के लिए सी.सी.आर.टी. उत्तरदायी नहीं रहेगी।
33. किसी भी प्रकार के विवाद के न्यायिक निपटान के लिए उदयपुर स्थित सेशन न्यायालय का कार्यक्षेत्र रहेगा।
34. निविदा का लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए तथा लिफाफे के दायीं ओर "भोजन हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र

Centre for Cultural Resources and Training

(Under aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

क्षेत्रीय केन्द्र : 3-बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर, उदयपुर-313001 राजस्थान, भारत,

दूरभाष (0294) 2430764, (0294) 2430771

भोजन आदि व्यवस्था (केटरिंग) के आवेदन पत्र

नोट: यह फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा।

1. निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक :.....
2. निविदा खोलने की दिनांक :.....

सेवामें,

परामर्शक महोदय
सीसीआरटी क्षेत्रीय केन्द्र,
उदयपुर

महोदय,

मैं अपनी फर्म का स्थापना एवं अनुभव आदि का विवरण को निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा

हूँ :-

1. फर्म/ठेकेदार का नाम :
2. पता :
3. टेलिफोन नं. :
4. फर्म स्थापना वर्ष :
5. अनुभव

(सरकारी/निजी क्षेत्र संस्थाओं आदि में
विगत 3 वर्षों में किए गए कार्य का ब्यौरा
तथा नाम व पते का उल्लेख करें)

(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. ईएमडी : रू.
- एफडी नं./बैंक का विवरण :
7. पेन/टेन नं. :
8. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं. :
9. दरों का विवरण : निम्न सारणी अनुसार

क्रम सं.	विवरण	समय	मात्रा	दर
1.	बेड टी	प्रातः 05:30	1 कप (150 मिली)	
2.	सुबह का नास्ता चाय/कॉफी के साथ (कोई भी एक) i) पोहा + नमकीन j) इडली सांभर + नारियल की चटनी k) उपमा + नमकीन + नारियल की चटनी l) पूड़ी + आलू सब्जी m) प्लेन पराठा + सब्जी + दही n) आलू पराठा + दही और अचार o) खमण + कड़ी + ब्रेड बटर सहित दो पीस p) मिक्स पराठा और दाल पराठा + दही	प्रातः 08:30	फुल (मेनू के अनुसार)	
3.	चाय + बिस्किट	प्रातः 11:00	1 कप (150 मिली) बिस्किट	
4.	दोपहर का भोजन (निम्नानुसार)	दोपहर 01:00	फुल (मेनू के अनुसार)	
5.	चाय + बिस्किट	सांय 04:00	1 कप (150 मिली) बिस्किट	
6.	रात्रि का भोजन (निम्नानुसार)	रात्रि 08:00	फुल (मेनू के अनुसार)	

मैं निविदा अनुसूची में निर्धारित सभी नियम और शर्तें स्वीकार करता हूँ।

भवदीय

(प्रोपाइटर)
हस्ताक्षर मय
सील

डि. 805 से 829 - डि. 15/11/19

क्र०स	विवरण	क्र०स	विवरण
1 805	विजय केटरर्स 36, हरिदासजी की मँगरी, सुभाषचौराहा, 9414191015 श्रीबंशिलाल औदिच्य	2 806	देवनारायण केटरर्स यूनिवर्सिटी रोड, कालकामाता रोड, उदयपुर 9414165338 श्री कन्हैयालाल गुर्जर
3 807	विमल केटरर्स विमल बर्तन 59, साइफन कॉलानी, फतेहपुरा, उदयपुर 9152583974	4 808	पालीवाल केटरर्स दुकान न. 102, गली न. 21, पायड़ा, उदयपुर, राजस्थान 9929826144, 9950683536
5 809	माही केटरर्स 185, नॉर्थ सुन्दरवास, उदयपुर 9828448842	6 810	श्री कृष्णा केटरर्स बी-82, कालका माता रोड, उदयपुर 9950116972
7 811	मातेश्वरी केटरर्स 465, स्वराज नगर, माछला मगरा, उदयपुर 8890643345	8 812	अरोड़ा केटरर्स कसारों की ओल, जगदीश रोड़, उदयपुर, राजस्थान
9 813	चन्दू केटरर्स 29, आनन्द विहार, रोड नं. 2, उदयपुर, राजस्थान 9929109361	10 814	सुमन केटरर्स 14, 15, बसन्त विहार, सेक्टर- 13, उदयपुर, राजस्थान 9829352351
11 815	श्रीनाथ केटरर्स 17/831, केशवनगर चौराहा, यूनिवर्सिटी रोड़, उदयपुर 9414158441	12 816	अशोका केटरर्स पुलिस लाइन के बाहर, उदयपुर, राजस्थान 9829043207, 9829243207

क्र०स	विवरण	क्र०स	विवरण
13 817	रॉयल केटरर्स सज्जनगढ़ रोड़, उदयपुर 9414538675	14 818	बंदवाल केटरर्स मोहन जोधपुर डेयरी के पास, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर 9413319887 श्रीविनोद बंदवाल(साहु)
15 819	शर्मा केटरर्स 121,सुखाड़िया कॉलोनी,सैक्टर-3 हिरणमगरी, उदयपुर, 9352502393 श्रीभवर लाल शर्मा	16 820	श्री करधर केटरर्स 39,शिवम कॉम्प्लेक्स,आरामशीन गली, बदगाँव उदयपुर 9413424145 श्रीचन्द्रप्रकाशश्रीमली
17 821	जोशी केटरर्स 9,नानी गली,केपी स्कूल के सामने, उदयपुर 9414157361 श्रीहरीश कुमार जोशी	18 822	खुशबू केटरर्स यू०आई०टी०कॉलोनी,आकाशवानी,उदयपुर 9982273974 श्रीहरीश कुमार पटेल
19 823	पूजा केटरर्स 5,कुमावतपुरा,झीणीरेत वाली गली, सूरजपोल,उदयपुर 9414354240 श्रीमुकेश हलवाई(आगरा)	20 824	पी.बी. केटरर्स एण्ड मैनेजमेन्ट 30,संजय कॉलोनी,हर्षनगर,उदयपुर 9414165048 श्रीपवनकुमारभट्ट
21 825	बालाजी केटरर्स रोड़ नं.4,लक्ष्मीनगर,पुरोहितों की मादडी,उदयपुर 9828344295 श्रीप्रकाशचंदवैष्णव	22 826	श्री अग्रवाल केटरर्स हनुमान टेकरी, चेटक सर्कल, मधुबन, उदयपुर 9414233137 श्रीपुष्पेन्द्र अग्रवाल
23 827	मैसर्स बीकानेर केटरर्स 3-ए-11, गुप्तेश्वर नगर, पानेरियों की मादडी, हिरण मगरी, सेक्टर 11, उदयपुर, राजस्थान	24 828	मैसर्स अशोका केटरर्स शक्तिनगर, उदयपुर, राजस्थान

क्र०स	विवरण
25 829	मैसर्स अशोक कुमार जोशी केटर्स झरिया मार्ग, हाथीपोल उदयपुर, राजस्थान